//

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छात्रवृति/सेल–डी/ऑनलाईन योजनाऐं/2022–23 दिनांक : 27-09-23

विज्ञप्ति

सत्र 2023–24 में राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संबंद्धता प्राप्त विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निम्नांकित नवीन छात्रवृति योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्र शालादर्पण पोर्टल के बेनिफीश्यरी स्कीम पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जाने हैं–

योजनाओं के नाम	1. मिरासी–भिश्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (बजट घोषणा संख्या 61) 2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना (बजट घोषणा संख्या 54)
आवेदन की प्रक्रिया	शालादर्पण के बेनिफीश्यरी मॉड्यूल के विद्यालय लॉगइन में संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को अग्रेषित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अग्रेषित किये जायेंगे।
संस्थाप्रधान द्वारा आवेदन करने हेतु लिंक	https://rajshaladarpan.nic.in/SD1/BSP/Home/DBT_CommonLogin.aspx
आवेदन की अंतिम तिथि	30.10.2023

उक्त समस्त योजनाओं का विस्तृत विवरण शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशरी स्कीम पोर्टल पर (https://rajshaladarpan.nic.in/sd1/BSP/Home/Scheme-Details.aspx) उपलब्ध है।

(कांना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / छात्रवृति / सेल–डी / ऑनलाईन योजनाऐं / 2022–23 दिनांक : 27-09-23

समस्त
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक / माध्यमिक

विषय : राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं को शालादर्पण पोर्टल के बेनिफीश्यरी मॉड्यूल पर ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान सत्र 2023–24 से निम्नलिखित योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को शालादर्पण पोर्टल के बेनिफीश्यरी मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1.मिरासी–भिश्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (बजट घोषणा संख्या 61)

1	योजना का नाम	**मिरासी–भिश्ती समुदाय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**
2	योजना से लाभान्वित विद्यार्थी	मिरासी समुदाय (मिरासी, ढाढ़ी, मीर, मंगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के कक्षा 06 से 10 के छात्र एवं छात्राएं जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप से अध्ययन कर रहे हों। निम्नांकित तालिका अनुसार विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। (तालिका नीचे)
3	स्कूल प्रबंधन जिनके लिए मॉड्यूल की अनुमति है	स्कूल शिक्षा (माध्यमिक / प्रारंभिक, मॉडल स्कूल, संस्कृत शिक्षा, टीएडी, मदरसा एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय)
4	योजना का प्रकार (केंद्र / राज्य)	राज्य (100 प्रतिशत)
5	योजना का संबंधित विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर
6	पात्रता	1. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. मिरासी (मिरासी, ढाढ़ी, मीर, मंगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 3. विद्यार्थी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप मं अध्ययन कर रहा हो। 4. विद्यार्थी जिनके माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक नहीं हो। **यदि विद्यार्थी के माता–पिता जीवित नहीं है तो आय सीमा लागू नहीं होगी।** 5. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता मिल रहा हो ऐसे विद्यार्थी योजनान्तर्गत लाभ के **पात्र नहीं होंगे।** (अर्थात् समस्त प्रकार की पूर्व–मैट्रिक एवं पोस्ट–मैट्रिक योजनाएं तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित योजनाओं के साथ उक्त योजना का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।) 6. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जायेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जायेगा। 7. पात्र अभ्यर्थी का शालादर्पण पोर्टल पर जनाधार प्रमाणीकरण एवं आधार नंबर की प्रविष्टि अनिवार्य है।
7	देय लाभ	1200/– रूपये वार्षिक
8	भुगतान का माध्यम	IFMS पे–मैनेजर / ट्रेजरी

क्र.सं.	कक्षा	लाभान्वित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्राओं की संख्या
1	6	500	500
2	7	500	500
3	8	500	500
4	9	500	500
5	10	500	500

9	आवेदन की प्रक्रिया	➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है। ➢ शालादर्पण पोर्टल के वेनिफीशयरीमोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के समस्त एस.सी. एवं ओ.बी.सी. वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा। ➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। ➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY वटन पर लेफ्ट क्लिक करें। ➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्नानुसार प्रविष्टियाँ की जानी है – 1. विद्यार्थी का पता 2. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या 3. विद्यार्थी का मोवाइल नंवर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय 4. गत वर्ष की परीक्षा के पूर्णांक एवं विद्यार्थी के प्राप्तांक (कक्षा 7, 8 एवं 10 हेतु)। 5. गत वर्ष की परीक्षा में विज्ञानं, अंग्रेजी एवं गणित के पूर्णांक एवं विद्यार्थी के प्राप्तांक (कक्षा 7, 8 एवं 10 हेतु)। 6. कक्षा 6 एवं 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु अंकों के प्रविष्टि न की जाकर केवल गत वर्ष की वोर्ड परीक्षा के अनुक्रमांक एवं जिले की प्रविष्टि की जानी है। 7. मिरासी भिश्ती समूह के 9 उप समूह में से विद्यार्थी के उप समूह का चयन। 8. विद्यार्थी के अनाथ होने संवंधी प्रविष्टि में हां अथवा नहीं का विकल्प। ➢ वैंक इनफार्मेशन हेतु प्रस्तुत दो विकल्प में से एक विकल्प का चयन करें। ➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात अप्लाई वटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें। ➢ संस्थाप्रधान के मोवाइल नंवर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक होगें। ➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे। ➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT वटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।
10	लाभार्थी का चयन	प्रत्येक कक्षा के लाभान्वितों की नियत संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट द्वारा चयन किया जायेगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में विद्यार्थी के क्रमशः गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के अंकों से मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।
11	आवश्यक दस्तावेज (विद्यालय स्तर पर संधारित होंगे)	1. जाति प्रमाणपत्र। 2. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 3. नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र (इस आशय का कि लाभार्थी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहा है) 4. आय प्रमाणपत्र (12 माह से अधिक पुरान नहीं हो अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार हो। यदि माता–पिता/अभिभावक राजकीय/वोर्ड/निगम/निजी सेवा में सेवारत/कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/नियोक्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।)
12	**आवेदन की अंतिम तिथि**	**30.10..2023**

2. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना (बजट घोषणा संख्या 54 वर्ष 2022–23)

<table>
<tr><td>1.</td><td>योजना का नाम</td><td>अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>योजनान्तर्गत देय लाभ एवं लाभान्वितों की संख्या</td><td>कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्हे सत्र 2023–24 में पूर्व मैट्रिक/उत्तर मैट्रिक छात्रवृति प्राप्त होनी है तथा जिनके गत कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हैं, योजना हेतु पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व में प्रदत्त छात्रवृति के साथ निम्नानुसार कक्षावार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी –
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कक्षा</th><th>छात्रों को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि (रू.)</th><th>छात्राओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि (रू.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>6–8</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9–12</td><td>1500</td><td>2500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्कूल प्रबंधन जिनके लिए मॉड्यूल की अनुमति है</td><td>स्कूल शिक्षा (माध्यमिक/प्रारंभिक, मॉडल स्कूल, संस्कृत शिक्षा, टीएडी, मदरसा एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>योजना का प्रकार (केंद्र/राज्य)</td><td>राज्य (100 प्रतिशत)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>योजना का संबंधित विभाग</td><td>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पात्रता</td><td>1. कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्हे सत्र 2023–24 में पूर्व मैट्रिक/उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त होनी है ।
2. कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गत कक्षा में (परीक्षा वर्ष 2023) 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
3. पात्र अभ्यर्थी का शालादर्पण पोर्टल पर जनाधार प्रमाणीकरण एवं आधार नंबर की प्रविष्टि अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>देय लाभ</td><td>
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कक्षा</th><th>छात्रों को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि (रू.)</th><th>छात्राओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि (रू.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>6–8</td><td>1000</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9–12</td><td>1500</td><td>2500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>भुगतान का माध्यम</td><td>IFMS पे–मैनेजर/ट्रेजरी</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>आवेदन की प्रक्रिया</td><td>➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।
➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनिफीशयरी मोड्यूल में लॉगइन करने पर बाई ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के समस्त एस.सी. वर्ग के पात्र विद्यार्थियों का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा।
➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।
➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।
➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जानी है –
1. विद्यार्थी का पता
2. विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या, गत वर्ष के प्राप्तांक एवं पूर्णांक
3. कक्षा 6 एवं 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु अंकों की प्रविष्टि न की जाकर केवल गत वर्ष की बोर्ड परीक्षा के अनुक्रमांक एवं जिले की</td></tr>
</table>

(हस्ताक्षर)

		प्रविष्टि की जानी है। 4. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या। ➢ बैंक इनफार्मेशन हेतु प्रस्तुत दो विकल्प में से एक विकल्प का चयन करें। ➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात एप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें। ➢ संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक होंगे। ➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे। ➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।
10.	लाभार्थी का चयन	सभी पात्र अभ्यार्थियों को योजना के तहत प्रदत लाभ देय होगा।
11.	आवश्यक दस्तावेज (विद्यालय स्तर पर संधारित होंगें)	विद्यार्थी का आधार/जनाधार कॉर्ड। जाति प्रमाण–पत्र। गत वर्ष की अंक तालिका।
12	आवेदन की अंतिम तिथि	30.10..2023

उक्त समस्त योजनाओं का विस्तृत विवरण शालादर्पण पोर्टल/पी.एस.पी (प्राईवेट स्कूल पोर्टल) के मुख पृष्ठ पर बेनिफीशरी स्कीम पोर्टल (https://rajshaladarpan.nic.in/sd1/BSP/Home/Scheme-Details.aspx) पर उपलब्ध है। समस्त अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित कर प्रत्येक पात्र विद्यार्थी का आवेदन की अंतिम तिथि 30.10.2023 तक ऑनलाईन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय स्तर पर प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवायें एवं शाला स्तर पर आयोजित पी0टी0एम0, अन्य कार्यक्रमों एवं प्रार्थना सभा के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार जयपरु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्यााय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ तकीनीकी निदेशक एन0आई0सी0 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर
4. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को आवेदन प्रक्रिया के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रक्रिया के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8. सहायक निदेशक, पी.एस.पी. अनुभाग को प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर अपलोड करवाने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर